

HRAGEN ASIUSI The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 328] No. 328] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 8, 2001/अग्रहायण 17, 1923 NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 8, 2001/AGRAHAYANA 17, 1923

> राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिसूचना नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2001

फा. सं. 9-1/2001/एनसीटीई (प्रशासन) — राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, 1993 (1993 का 73वां) की धारा 14 और 15 के साथ पिटत धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (च) और (छ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र में 11 अगस्त, 2001 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अनापत्ति प्रमाणपत्र पर विचार) (संशोधन) विनियम, 2001 का अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् निम्नलिखित अधिसूचनाओं को संशोधित /और आगे संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अनापत्ति प्रमाण पर विचार) (संशोधन) विनियम, 2001 बनाती है:-

- (i) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संस्थानों की मान्यता के लिए आवेदन, आवेदन की पद्धित, मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमित) विनियम, 1995
- (ii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पत्राचार शिक्षा अथवा मुक्त दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अथवा आमने-सामने की शिक्षा प्रणाली के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से शिक्षा रनातक की उपाधि (बी.एड. डिग्री) या उसके समकक्ष किसी पाठ्यक्रम को चलाने वाले अथवा चलाने के इच्छुक संस्थानों की मान्यता की शर्तों का निर्धारण अथवा किसी नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 1996
- (iii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् {आमने सामने की शिक्षा प्रणाली के माध्यम से स्नातकोत्तर (एम.एड) तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से स्नातकोत्तर (एम.एड.) के लिए मानक और शर्तें। विनियम 1998

3767 GI/2001

पहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

- (iv) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (शारीरिक शिक्षा में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम सी.पी.एड., बी.पी.एड. तथा एम.पी.एड. की मान्यता के लिए मानक और शर्तें) विनियम, 1998
- (v) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (प्रारंभिक शिक्षा रनातक बी.एल.एड. की मान्यता के लिए मानक और शर्तें) विनियम, 1998

संक्षिप्त नाम और प्रवर्तन

ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अनापत्ति प्रमाण पत्र पर विचार) (संशोधन) विनियम, 2001 कहलाएंगे।

उपर्युक्त विनियमों में प्रत्येक के सामने दर्शायी गई सीमा तक निम्न जोड़ा जाता है: .

क्र.	राजपत्र की अधिसूचना	विनियम	मौजूदा प्रावधान	जोड़ा गया पाठ
सं.	संख्या और तारीख,			
	आदेश संख्या और			
	तारीख		1 '	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	8, 24.2.96/28-11/95	राष्ट्रीय अध्यापक	पैरा ५ (ड.) तथा	पैरा 5 (च) के
	एनसीटीई दिनांक	शिक्षा परिषद्	(च)	बाद निम्न जोड़ा
	29.12.95	(संस्थाओं की	(ड.) अध्यापक	जाएः
		मान्यता के लिए	शिक्षा में कोई	(छ) अनापत्ति
		आवेदन, आवेदन	पाठ्यक्रम या	प्रमाण पत्र
		की पद्धति, मान्यता	प्रशिक्षण चलाने	(एनओसी) के
		की शर्तों का	की इच्छा रखने	जारी किए जाने
		निर्धारण तथा नए	वाली ऐसी प्रत्येक	के संबंध में
		पाठ्यक्रम या	संस्था को जो 17	राज्य सरकार/
eri ag/62		प्रशिक्षण शुरू करने	अगस्त, 1995 के	संघशासित क्षेत्र
•		के लिए अनुमति)	ठीक पहले नहीं	के समर्थन पर
		विनियम 1995 ।	चल रही थी उस	क्षेत्रीय समिति
			राज्य या संघ	द्वारा मान्यता के
			राज्य क्षेत्र से जहां	लिए आवेदन
			संस्था अवस्थित	पत्र पर निर्णय
			हो, अनापत्ति	लेते संमय
			प्रमाण पत्र सहित	विचार किया
	-		मान्यता हेतु	जाएगा।
			आवेदन करना	(ज) यदि राज्य
	1 -		होगा ।	सरकार/
			(च) उपर्युक्त	संघशासित क्षेत्र
		anutal	विनियम ४ के	द्वारा जारी किए
		paul	अन्तर्गत	गए अनापत्ति

राहायक नियंत्रक (प्रशासन)(। भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग सिविल साइन्स, दिल्ली–54

मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को शुरू करने और/अथवा दाखिले में वृद्धि करने के लिए आवेदन सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास किया जाएगा और साथ में उस आधारिक राज्य राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगां।

पत्र में प्रमाण दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या की कोई बाबत संकेत नहीं दिया जाता तो इस की आशय संख्या संस्थान में उपलब्ध और या संघ अनुदेशात्मक सुविधाओं तथा संगत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंध में लागू संगत अन्य और मानदंडों मानकों को ध्यान में रखते क्षेत्रीय हुए समिति द्वारा तय की जाएगी। (耔) राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र उस समय तक वैध रहेगा जब तक कि राज्य

राहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग सिवल लाइन्स, दिल्ली-54

सरकार/ संघशासित क्षेत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस नहीं ले लेता/रद्द नहीं कर देता। (ञ) यदि संस्थान अनापत्ति प्रमाण पत्र के जारी किए जाने की तारीख के तीन वर्ष के भीतर मान्यता प्राप्त नहीं कर पाता तो अनापत्ति प्रमाण .पत्र व्यपगत समझा जाएगा। (ट) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त सरकारी संस्थानों मामले में लाग नहीं होगी। (ठ) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त अधिक से अधिक 50 (केवल पचास) छात्रों के दाखिले सहित कोई नवाचारी अध्यापक शिक्षा

क्रिकीली जिल्लासक नियंत्रक (प्रशासन) भरत सरकार, प्रकाशन विभाग सिवित राइन्स, दिस्सीनेह्र

			T	T
				कार्यक्रम शुरू
				करने . वाले
				विश्वविद्यालय
				विभागों के
				मामले में भी
				लागू नहीं होगी।
				कोई कार्यक्रम
				नवाचारी है या
				नहीं इस प्रश्न
				की बाबत
				संबंधित क्षेत्रीय
2				समिति द्वारा
				निर्णय लिया
				जाएगा।
2.	14, 5.4.97, 28-9/96	राष्ट्रीय अध्यापक	पैरा 6 (ड.) तथा	पैरा 6 (च) के
	एनसीटीई दिनांक	शिक्षा परिषद्	(च)	बाद निम्न जोड़ा
	6.2.1997	[पत्राचार शिक्षा		जाएः
		अथवा मुक्त दूरस्थ	(ड.) अध्यापक	(छ) अनापत्ति
		शिक्षा प्रणाली के	शिक्षा में पाठ्यक्रम	प्रमाण पत्र
		माध्यम द्वारा अथवा	या प्रशिक्षण चलाने	(एनओसी) के
		आमने-सामने की	की इच्छा रखने	जारी किए जाने
		शिक्षा प्रणाली के	वाली ऐसी प्रत्येक	के संबंध में
		अतिरिक्त किसी	संस्था को जो 17	राज्य सरकार/
		अन्य माध्यम से	अगस्त, 1995 के	संघशासित क्षेत्र
		शिक्षा स्नातक की	ठीक पहले नहीं	के समर्थन पर
		उपाधि (बी.एड.	चल रही थी उस	क्षेत्रीय समिति
		डिग्री) या उसके	राज्य या संघ	द्वारा मान्यता के
		समकक्ष के लिए	राज्य क्षेत्र से जहां	लिए आवेदन पर
		किसी पाठ्यक्रम	संस्था अवस्थित	निर्णय लेते
		को चलाने वाले	हो, अनापत्ति	समय विचार
		अथवा चलाने के	प्रमाण पत्र सहित	किया जाएगा।
		इच्छुक संस्थानों की	मान्यता हेतु	(ज) यदि राज्य
		मान्यता की शर्तीं	आवेदन करना	सरकार/
		L		

प्रमुखीन प्राहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग भिविल लाइन्स, दिल्ली–54

Mb

का निर्धारण तथा किसी नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण को प्रारम्भ करने की अनुमति। विनियम, 1996 ।

होगा । (핍) विनियम 5 के उपविनियम (ख) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त संस्थाओं दाखिले में लिएं करने के अनुमति दिए जाने जाता तो संबंधी क्षेत्रीय सम्बद्ध समिति के पास में किया जाएगा और आधारिक साथ में उस राज्य अनुदेशात्मक अथवा संघ राज्य सुविधाओं तथा क्षेत्र से जहां संस्था संगत अध्यापक अवस्थित हो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

संघशासित क्षेत्र उपर्युक्त द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र दाखिल किए जाने वाले छात्रों द्वारा की संख्या की वृद्धि बाबत कोई संकेत नहीं दिया की आवेदन | आशय संख्या संस्थान उपलब्ध और प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंध में लागू अन्य संगत मानदंडों और मानकों को ध्यान में रखते क्षेत्रीय हुए समिति द्वारा तय की जाएगी। (朝) राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र उस

stubil ाहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग 1सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

समय तक वैध रहेगा जब तक कि राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस नहीं ले लेता/रद्द नहीं कर देता। (퍼) यदि संस्थान अनापत्ति प्रमाण पत्र के जारी किए जाने की तारीख के तीन वर्ष के भीतर नहीं मान्यता प्राप्त कर पाता तो अनापत्ति प्रमाण व्यपगत समझा जाएगा। (ट) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त सरकारी संस्थाओं के मामले में लागू नहीं होगी (ठ) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त अधिक से अधिक 50 (केवल पचास) छात्रों के

भागीजी पाहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग भेरविल लाइन्स, दिल्ली–54

		-	· ·		
-					दाखिले सहित
					कोई नवाचारी
					अध्यापक शिक्षा
ć					कार्यक्रम शुरू
×	1				करने वाले
					विश्वविद्यालय
					विभागों के
					मामले में भी
			1 1.		लागू नहीं होगी।
					कोई कार्यक्रम
				,	नवाचारी है या
					नहीं इस प्रश्न
		e e			की बाबत
		,			संबंधित क्षेत्रीय
					द्वारा निर्णय
					लिया जाएगा।
	3.	7, 13.2.99/28-2/98/	राष्ट्रीय अध्यापक	पैरा 6(ड.) तथा	पैरा 6(च) के
		एनसीटीई	शिक्षा परिषद्	(च)	बाद निम्न जोड़ा
4		दिनांक 29.12.98	[आमने-सामने की	(-T.) (27C-THILL)	जाएः
			शिक्षा प्रणाली के	(ड.) अध्यापक	(छ) अनापत्ति
-			माध्यम से शिक्षा में	शिक्षा में कोई	प्रमाण पत्र
		9 .	रनातकोत्तर	पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने	(एनओसी) के
			(एम.एड.) तथा	की इच्छा रखने	जारी किए जाने
			दूरस्थ शिक्षा प्रणाली	वाली ऐसी प्रत्येक	के संबंध में
	,		के माध्यम से शिक्षा	संस्था को जो 17	राज्य सरकार/
	2	,	में स्नातकोत्तर	अगस्त, 1995 के	संघशासित क्षेत्र
			(एम.एड.) के लिए	ठीक पहले नहीं	के समर्थन पर
			मानक और शर्तें।	चल रही थी उस	क्षेत्रीय समिति
		Service Servic	विनियम, 1998 ।	राज्य या संघ	द्वारा मान्यता के
				राज्य क्षेत्र से जहां	लिए आवेदन
1		a .		संस्था अवस्थित	पत्र पर निर्णय
1	·	*		हो, अनापत्ति	लेते समय
					विचार किया

त्रकारी प्राह्मयक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विमाग भिवल लाइन्स, दिल्ली–54

प्रमाण पत्र सहित मान्यता हेतु आवेदन करना होगा ।

(च) उपर्युक्त विनियम 5 के उपविनियम (ख) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा दाखिले में वृद्धि करने के लिए अनुमति दिए जाने संबंधी आवेदन सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास किया जाएगा और साथ में उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो अनापति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

जाएगा। (ज) यदि राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र द्वारा जारी किए अनापत्ति गए प्रमाण पत्र दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या की कोई बाबत संकेत नहीं दिया जाता तो इस की आशय संस्थान संख्या में उपलब्ध और आधारिक अनुदेशात्मक सुविधाओं तथा संगत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में लागू अन्य संगत और मानदंडों मानकों को ध्यान में रखते क्षेत्रीय हुए समिति द्वारा तय की जाएगी। राज्य (朝) सरकार/ संघशासित क्षेत्र

3767 GI/2001-2 .

सहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग भिवेल लाइन्स, दिल्ली–54

Starlit

द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र तब तक वैध रहेगा तक कि जब राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस नहीं ले लेता/रद नहीं कर देता। (ञ) यदि संस्थान अनापत्ति प्रमाण पत्र के जारी किए जाने की तारीख के तीन वर्ष के भीतर मान्यता नहीं प्राप्त कर पाता अनापत्ति तो प्रमाण पत्र व्यपगत समझा जाएगा। (ट) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त सरकारी संस्थानों मामले में लागू नहीं होगी। (ठ) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त अधिक से अधिक 50

भारत सरकार, प्रकाशन विभाग श्वित लाइन्स, दिल्ली–54

W21

				(केवल पचास)
				छात्रों के
				दाखिले सहित
				कोई नवाचारी
				अध्यापक शिक्षा
				कार्यक्रम शुरू
				करने वाले
	•			विश्वविद्यालय
				विभागों के
				मामले में भी
				लागू नहीं होगी।
				कोई कार्यक्रम
				नवाचारी है या
				नहींइस प्रश्न
				की बाबत
				संबंधित क्षेत्रीय
				समिति द्वारा
				निर्णय लिया
				जाएगा।
4.	12, 20.3.99, 28-	राष्ट्रीय अध्यापक	पैरा 6(ड.) तथा	पैरा 6(च) के
1	3/98-99/एनसीटीई	शिक्षा परिषद्	(च)	बाद निम्न जोड़ा
	दिनांक 29.12.98	[शारीरिक शिक्षा में		जाएः
		प्रमाण पत्र	(ड.) अध्यापक	(छ) अनापत्ति
		(सी.पी.एड.)	शिक्षा में पाठ्यक्रम	प्रमाण पत्र
		शारीरिक शिक्षा में	या प्रशिक्षण चलाने	(एनओसी) के
		स्नातक	की इच्छा रखने	जारी किए जाने
		(बी.पी.एड.) तथा	वाली ऐसी प्रत्येक	के संबंध में
		शारीरिक शिक्षा में	संस्था को जो 17	राज्य सरकार/
		रनातकोत्तर उपाधि	अगस्त, 1995 के	संघशासित क्षेत्र
		(एम.पी.एड.) की	ठीक पहले नहीं	के समर्थन पर
		मान्यता के लिए	चल रही थी उस	क्षेत्रीय समिति
		मानक और शर्तें]	राज्य या संघ	द्वारा मान्यता के
		विनियम, 1998	राज्य क्षेत्र से जहां	लिए आवेदन
				157

क्रमण्या जिल्लाहरू निरंत्रक (प्रशासन) भारत संस्कार हुस्स्वान विसाग भूतिन स्वयं विस्ती-54

संस्था अवस्थित हो, अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित मान्यता हेतु आवेदन करना होगा ।

(च) उपर्युक्त विनियम 5 के उपविनियम (ख) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा दाखिले में वृद्धि करने के लिए अनुमति दिए जाने संबंधी आवेदन सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास किया जाएगा और साथ में उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो अनापत्तिं प्रमाण पत्र संलग्न करना ° होगा ।

पत्र पर निर्णय लेते समय किया विचार जाएगा। (ज) यदि राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र द्वारा जारी किए अनापत्ति गए प्रमाण पत्र में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या की कोई बाबत संकेत नहीं दिया जाता तो की आशय संस्थान संख्या उपलब्ध में आधारिक और अनुदेशात्मक सुविधाओं तथा संगत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंध में लागू संगत अन्य और मानदंडों को मानकों ध्यान में रखते क्षेत्रीय ह्ए समिति द्वारा तय

Som 25 Pull

की जाएगी।

पहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग । सेविल लाइन्स, दिल्ली—54

(朝) राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र तब तक वैध रहेगा तक कि जब राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र अनापंत्ति प्रमाण पत्र वापस नहीं ले लेता/रद नहीं कर देता। (퍼) यदि संस्थान अनापत्ति प्रमाण पत्र के जारी किए जाने की तारीख के तीन वर्ष के भीतर मान्यता नहीं प्राप्त कर पाता तो अनापत्ति प्रमाण पत्र व्यपगत समझा जाएगा। (ट) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त सरकारी संस्थानों के मामले में लागू नहीं होगी।

Sw25 (4/11

ाहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली-64

				,
				(ठ) अनापत्ति
			**	प्रमाण पत्र की
	* 1			शर्त अधिक से
				अधिक 50
*				(केवल पचास)
				छात्रों के
				दाखिले सहित
			97	कोई नवाचारी
				अध्यापक शिक्षा
				कार्यक्रम शुरू
				करने वाले
	*			विश्वविद्यालय
	* £			विभागों के
	,			मामले में भी
	s .			लागू नहीं होगी।
				कोई कार्यक्रम
			,	नवाचारी है या
				नहींइस प्रश्न
-	*			की बाबत
			*	संबंधित क्षेत्रीय
	•			समिति द्वारा
	. **			निर्णय लिया
				जाएगां।
·5.	12, 20.3:99, 28-	राष्ट्रीय अध्यापक	पैरा 6(ड.) तथा	पैरा 6(च) के
	4/98-99/एनसीटीई	शिक्षा परिषद्	(च)	बाद निम्न जोड़ा
	दिनांक 29.12.98	(प्रारम्भिक शिक्षा		जाएः •
		स्नातक-बी.एल.एड.	(ड.) अध्यापक	(छ) अनापत्ति
	w w	की मान्यता के	शिक्षा में कोई	प्रमाण पत्र
		लिए मानक और	पाठ्यक्रम या	(एनओसी) के
., .	. 18	शर्तें) विनियम,	प्रशिक्षण चलाने	जारी किए जाने
		1998	की इच्छा रखने	के संबंध में
*	w.*	·	वाली ऐसी प्रत्येक	राज्य सरकार/
/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			संस्था को जो 17	संघशासित क्षेत्र
- 1	9			

ाहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विमाग सिविदा लाइन्स, दिल्ली–54

अगस्त, 1995 के ठीक पहले नहीं चल रही थी उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो, अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित मान्यता हेतु आवेदन करना होगा ।

(च) उपर्युक्त विनियम 5 के उपविनियम (ख) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा दाखिले में वृद्धि करने के लिए अनुमति दिए जाने संबंधी आवेदन सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास किया जाएगा और °साथ में उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

के समर्थन पर क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता के लिए ं आवेदन पत्रं पर निर्णय लेते समय किया विचार जाएगा। (ज) यदि राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र द्वारा जारी किए अनापत्ति गए प्रमाण पत्र में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या की कोई बाबत संकेत नहीं दिया जाता तो इस की आशय संख्या संस्थान उपलब्ध आधारिक और अनुदेशात्मक सुविधाओं तथा संगत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में लागू संगत अन्य और मानदंडों

मिर्फिंग प्राहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

मानकों

को

ध्यान में रखते क्षेत्रीय हुए समिति द्वारा तय की जाएगी। (耔) राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र तब तक वैध रहेगा जब तक कि राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र अनापत्ति प्रमाण पंत्र वापस नहीं ले लेता/रद नहीं कर देता। (ञ) यदि संस्थान अनापत्ति प्रमाण पत्र के जारी किए जाने की तारीख के तीन वर्ष के भीतर मान्यता नहीं प्राप्त कर पाता तो अनापत्ति प्रमाण व्यपगत समझा जाएगा। अनापत्ति (ट) प्रमाण पत्र की

भिराम्म 25-[4]|| गहायक नियंत्रक (प्रशासन) भरत सरकार, प्रकाशन विमाग सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

शर्त सरकारी संस्थानों के मामले में लागू नहीं होगी। (ठ) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त अधिक से अधिक 50 (केवल पचास) छात्रों के दाखिले सहित कोई नवाचारी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम शुक्त करने वाले विश्वविद्यालय विभागों के मामले में भी लागू नहीं होगी। कोई कार्यक्रम नवाचारी है या नहीं--इस प्रश्न की बाबत संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

्रं एस. के. राय, सदस्य सचिव [विज्ञापन III/IV/131/2001/असा.]

3767 GI/2001-3

पहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2001

No. F.9-1/2001/NCTE (Admn.).— In exercise of the powers conferred under clause (f) and (g) of sub-section (2) of the Section 32 read with Sections 14 and 15 of the NCTE Act, 1993 (No. 73, 1993), and in supersession of the National Council for Teacher Education (consideration of No Objection Certificate) (Amendment) Regulations, 2001 notified in the Gazette of India on the 11th August, 2001, NCTE hereby makes the National Council for Teacher Education (consideration of No Objection Certificate) (Amendment) Regulations, 2001 to amend / further amend the notifications mentioned below:-

- (i) The National Council for Teacher Education (application for recognition, manner for submission, the determination of condition for recognition of institutions and permission to start new course or training) Regulations, 1995.
- The National Council for Teacher Education (determination of conditions for recognition of institutions offering or intending to offer through correspondence education or distance education including open distance education or any mode other than face to face instruction for any course leading to B.Ed degree or its equivalent and permission to start any new course or training) Regulations 1996.
- (iii) The National Council for Teacher Education (norms and conditions for recognition of M.Ed face to face and M.Ed through distance education) Regulations, 1998.
- (iv) The National Council for Teacher Education (norms and conditions for grant of recognition of teacher education programme in Physical Education C.P.Ed, B.P.Ed and M.P.Ed) Regulations, 1998.
- (v) The National Council for Teacher Education (norms and conditions for recognition of Bachelor of Elementary Education B.El.Ed) Regulations, 1998.

Short Title and Commencement

These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (consideration of No Objection Certificate) (Amendment) Regulations, 2001.

The following additions are made in the above mentioned Regulations to the extent indicated against each of them:-

महायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विमाग सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

steeted

[0]	Caratta Natification Na	T D	I E : III E : III	
SI. No	Gazette Notification No. & Date, Order No. &	Regulations	Existing Provision	Addition made
(4)	Date	(0)		
-				
(1)	(2) 8, 24.2.96 / 28-11/95 NCTE dated 29.12.95	The National Council for Teacher Education (application for recognition, manner for submission, the determination of condition for recognition of institutions and permission to start new course or training) Regulations, 1995.	(e) Every institution intending to offer a course or training in teacher education but was not functioning immediately before 17th August, 1995, shall submit application for recognition with a no objection certificate from the State or Union Territory in which the institution is located. (f) Application for permission to start new course or training and / or to increase intake by recognised institutions under Regulation 4	(g) The endorsement of the
			the institution is located.	relevant teacher training
			locateu.	programme.
		1.1		
				(i) The NOC
				issued by the State

गहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग भिविल लाइन्स, दिल्ली–54

				Government / UT Administration will remain valid till such time the State Government / UT Administration
				withdraws / cancels it. (j) The NOC will be deemed to have
				lapsed if the institution fails to get recognition within three years from the date of its issue.
				(k) Requirement of NOC shall not apply to Government Institutions.
				(I) Requirement of NOC shall not apply to University Departments for taking up innovative teacher
				education programmes for a maximum intake of 50 (fifty only). The question as to
				whether a programme is innovative will be decided by the
				concerned Regional Committee.
2.	14, 5.4.97, 28-9/96 NCTE dated 6.2.1997	The National Council for Teacher Education (determination of	Para 6 (e) and (f) (e) Every institution	After para 6 (f) the following shall be added:
		conditions for recognition of institutions offering	intending to offer a	(g) The endorsement of the State Government /

धारायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग भिवल हाइन्स, दिल्ली—54

intending through offer correspondence education distance education including open distance education or any mode other than face to face instruction for any course leading to B.Ed degree or its equivalent and permission to start any new course or training) Regulations 1996.

education but was functioning 17th August, 1995, submit shall for application recognition with a objection certificate' from respective the State Government or Union Territory administration in which the institution located.

(f) Application for to permission increase in intake recognised institutions under Sub Regulation (b) of Regulation 5 above shall be : submitted to the Regional Committee . concerned with no objection certificate' from the State or union Territory in which training the institution is programme. located.

UT Administration in regard to issue immediately before of No Objection Certificate (NOC) will be considered by the Regional while Committee taking a decision on the application for recognition.

> If the NOC (h) issued by the State Government / UT Administration does not indicate the intake, it will be for the Regional Committee the determine intake taking into account infrastructural and instructional facilities available in the institution and other relevant provisions in the and Norms Standards applicable to the teacher relevant

NOC The (i) issued by the State Government / UT Administration will remain valid till such time the State Government / UT Administration withdraws / cancels"

(j) The NOC will be deemed to have lapsed the !

ाहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

				institution fails to get recognition within three years from the date of its issue. (k) Requirement of NOC shall not apply to Government Institutions. (l) Requirement of NOC shall not apply to University Departments for taking up innovative teacher education programmes for a maximum intake of
				NOC shall not apply to Government Institutions. (I) Requirement of NOC shall not apply to University Departments for taking up innovative teacher education programmes for a maximum intake of
				NOC shall not apply to University Departments for taking up innovative teacher education programmes for a maximum intake of
				maximum intake of
			•	50 (fifty only). The question as to whether a programme is
				innovative will be decided by the concerned Regional Committee.
99 28 CTE date 98	d Council Teacher Edu (norms	for judgments and in the second secon	institution	After para 6 (f) the following shall be added:
	 recognition M.Ed face to 	of to face of face of the face	course or training in teacher education but was	State Government / UT Administration
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	education) Regulations.	1998	immediately before 17 th August, 1995, shall submit application for	of No Objection Certificate (NOC) will be considered by the Regional
		t :	No Objection with a No Objection Certificate from the respective State Government	Committee while taking a decision on the application for recognition.
	8	Teacher Edi (norms conditions recognition M.Ed face t and M.Ed th distance education)	Teacher Education (norms and conditions for recognition of M.Ed face to face and M.Ed through distance equication) Regulations, 1998	Teacher Education (norms and conditions for recognition of M.Ed face to face and M.Ed through distance education) Regulations 1998 Teacher Education (e) Every institution intending to offer a course or training in teacher education but was not functioning immediately before 17th August, 1995, shall submit application for recognition with a 'No Objection Certificate' from

भारत सरकार, प्रकाशन विमाग सिवित लाइन्स, दिल्ली–54

4.33

administration in which the institution is located.

(f) Application for permission to increase intake by recognised institutions under Sub Regulation (b) of Regulation 5 shall above be submitted to the Regional Committee concerned with 'No Objection Certificate' from the State or union Territory in which the institution is located.

issued by the State Government / UT Administration does not indicate the intake, it will be for the Regional Committee determine the intake taking into account the infrastructural and instructional facilities available in the institution and other relevant provisions in the Norms and Standards applicable to the relevant teacher training programme.

- (i) The NOC issued by the State Government / UT Administration will remain valid till such time the State Government / UT Administration withdraws / cancels it.
- (j) The NOC will be deemed to have lapsed if the institution fails to get recognition within three years from the date of its issue.
- (k) Requirement of NOC shall not apply to Government Institutions.

प्रकारम पहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विमाग भिवल लाइन्स, दिल्ली–54

	!					(I) Requirement of
						NOC shall not
	ĺ					apply to University
						Departments for
						taking up
		1 × 1				innovative teacher
1	1					,
7	1					education
	(programmes for a
			4			maximum intake of
						50 (fifty only). The
						question as to
						whether a
-						programme is
i						innovative will be
1				8 I W		decided by the
						concerned
						Regional
İ				2		Committee.
	4.	12, 20.3.99,	28-3/98-	The National	Para 6 (e) and (f)	After para 6 (f) the
		99/NCTE	dated	Council for	- 2.2 5 (5) 41.3 (1)	following shall be
		29.12.98	44.04	Teacher Education	(e) Every	
		20.12.00	ě.	(norms and	institution	added.
				\$ 0.000 cm	2000 1-	140
	1		•		intending to offer a	(g) The
				grant of	course or training	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
				recognition of	in teacher	
	1			teacher education	education but was	
	1		9	programme in	not functioning	
A	_			Physical Education	immediately before	of No Objection
1	1			- C.P.Ed, B.P.Ed	17 th August, 1995,	Certificate (NOC)
				and M.P.Ed)	shall submit	will be considered
				Regulations, 1998	application for	by the Regional
	1		1	,	recognition with a	Committee while
1					'No Objection	
					Certificate' from	on the application
1					the respective	for recognition.
		1 2	* *		State Government	is roogridor.
					or Union Territory	(h) If the NOC
1					administration in	issued by the State
	-				which the	Government / UT
			*** <u>*</u>		institution is	Administration
				ā	located.	does not indicate
				**	.ooutou.	the intake, it will be
l					(f) Application for	
1					(f) Application for	for the Regional
			189		permission to	Committee to
1				1	increase in intake	determine the
					by recognised	intake taking into
	4				institutions under	account the
					Sub Regulation (b)	infrastructural and
	L				of Regulation 5	instructional

पाडायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विमाग भिरविल लाइन्स, दिल्ली–54

above shall be submitted to the Regional Committee concerned with 'No Objection Certificate' from the State or union Territory in which the institution is located.

facilities available in the institution and other relevant provisions in the Norms and Standards applicable to the relevant teacher training programme.

- (i) The NOC issued by the State Government / UT Administration will remain valid till such time the State Government / UT Administration withdraws / cancels it.
- (j) The NOC will be deemed to have lapsed if the institution fails to get recognition within three years from the date of its issue.
- (k) Requirement of NOC shall not apply to Government Institutions.
- (I) Requirement of NOC shall not apply to University Departments for taking up innovative teacher education programmes for a maximum intake of 50 (fifty only). The question as to whether a

3767 GI/2001-4

पार्टी प

				programme is innovative will be decided by the concerned Regional Committee.
5	12, 20.3.99, 28-4/98-99/NCTE / dated 29.12.98		(e) Every institution intending to offer a course or training in teacher education but was not functioning immediately before 17th August, 1995, shall submit application for recognition with a 'No Objection Certificate' from the respective State Government or Union Territory administration in which the institution is located. (f) Application for permission to increase in intake by recognised institutions under Sub Regulation (b) of Regulation 5 above shall be submitted to the	After para 6 (f) the following shall be added: (g) The endorsement of the State Government / UT Administration in regard to issue of No Objection Certificate (NOC) will be considered by the Regional Committee while taking a decision on the application for recognition. (h) If the NOC issued by the State Government / UT Administration does not indicate the intake, it will be for the Regional Committee to determine the intake taking into account the infrastructural and instructional facilities available in the institution
		() () () () () () () () () ()	No Objection Certificate' from he State or union erritory in which	and other relevant previsions in the Norms* and Standards applicable to the relevant teacher training programme.

भिकार्जि प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विमाग १सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

i			(i) The NOC
			issued by the State
1			Government / UT
			Administration will
			remain valid till
			such time the State
			Government / UT
			Administration
			withdraws / cancels
			it.
			(j) The NOC will
			be deemed to have
1			lapsed if the
-			institution fails to
			get recognition
			within three years
			from the date of its
			issue.
			(k) Requirement of
			NOC shall not
			apply to
			Government
			Institutions.
			mothadons.
			(I) Requirement of
			NOC shall not
			apply to University
			Departments for
			taking up
			innovative teacher
			education
			programmes for a
			maximum intake of
			50 (fifty only). The
1			question as to
!			whether a
i			programme is
			innovative will be
			decided by the
			Concerned
			Regional Committee.
		L	Committee.

These amendments shall come into force with immediate effect.

S. K. RAY, Member Secy.

[ADVT III/IV/131/2001/Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-I10064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

प्राचित्र प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विमाग

सिविल लाइन्स, दिल्ली-54